सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –30.07.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 05 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्त 1. दिलावर पुत्र बटई 2. वकील पुत्र गुटई (विचारण के समय मृत्यु) 3. मुन्ना पुत्र गुटई 4. सफीक पुत्र बटई (दोष मुक्त) 5. शकील पुत्र वकील समस्त निवासी गण ग्राम खकसीस थाना रेंढर जनपद जालौन द्वारा वादी के पिता, बहन व साले के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना रेंढर में मु0अ0सं0 567/2011 (वाद संख्या – 05/2013) धारा 308/323/325/504/506 भादवि में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. दिलावर 2. मुन्ना 3. शकील उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 07-07 वर्ष कारावास एवं 18,000-18,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रकरण द्वितीय – अभियुक्त 1. नीलेश पुत्र मुन्ना ढीमर 2. अरविन्द कुशवाहा पुत्र दुजू निवासी गण ग्राम नावली थाना रेंढर जनपद जालौन द्वारा वादिया के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना रेंढर में मु0अ0सं0 154/2017 (वाद संख्या – 58/2018) धारा 354/452/506/509 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.07.2024 को स्पे0 जज पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. नीलेश 2. अरविन्द उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 05-05 वर्ष कारावास एवं 10,000-10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।